LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (14) Vidhi/2/2011.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Udyam Ekal Khirki Samarthyakari Aur Anugyapan Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 7) :–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ENTERPRISES SINGLE WINDOW ENABLING AND CLEARANCE ACT, 2011

(Act No. 7 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

to provide for accelerated and time-bound grant of various licences, permissions and approvals and to enable an alternative single window clearance mechanism to be triggered in case of failure of competent authorities to act in time, to support an investor friendly environment in the State of Rajasthan and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) This section shall be deemed to have come into force on and from 26th December, 2010 and other provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by

notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions, in or in relation to, different-

(a) districts in the State; and

(b) format of the application form-

and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in such districts, or in relation to such format of the application form.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Bureau of Investment Promotion" means the Bureau of Investment Promotion as declared under section 4;

(b) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, Local Authority, Statutory Body, State owned Corporation, Gram Panchayat, Municipality, or any other authority or Agency constituted or established under any Rajasthan law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue permissions for setting up or commencement of operations of an enterprise in the State;

(c) "District Empowered Committee" means the District Empowered Committee constituted under section 3;

(d) "enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, or engaged in providing or rendering of any service or services;

(e) "Government" means the State Government of Rajasthan;

(f) "investor" means any person who invests capital in any new enterprise or in an existing enterprise for expanding, modernizing or diversifying for securing income or profit or common social good;

(g) "Nodal Agency" means the Nodal Agencies referred to in section 5;

(h) "notification" means a notification published in the Rajasthan Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(i) "permission" means grant or issue of permission, no-objection certificate, clearance, allotment, consent, approval, registration, enrolment, licence and the like, by any Competent Authority in connection with the setting up of an enterprise in the State of Rajasthan and shall include all such permissions as are required under any Rajasthan law until the enterprise commences its operation;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(k) "State" means the State of Rajasthan; and

(l) "State Empowered Committee" means the State Empowered Committee constituted under section 3.

3. Constitution, powers and functions of State Empowered Committee and District Empowered Committee.-(1) The Government may, by notification, constitute a State Empowered Committee to assist Council of Ministers in considering the proposals for benefits as mentioned in section 11 for the purpose of promoting investment and for setting up of enterprises in the State and to consider and dispose of applications for permission required under Rajasthan laws in case the Competent Authority has failed to consider and dispose of such applications within the time limit prescribed under section 12.

(2) The State Empowered Committee shall examine the applications for giving concessions or grant exemption or relaxation from the provisions of any Rajasthan law, take into consideration the comments of the departments, if any, hold

discussions with the investors, wherever necessary and make recommendations to the Council of Ministers. The time limit for submitting recommendations to the Council of Ministers shall be such as may be prescribed under section 12.

(3) The Government may, by notification, constitute a District Empowered Committee for each district to consider and dispose of applications for permission required under Rajasthan laws in case the Competent Authority has failed to consider and dispose of such applications within the time limit prescribed under section 12.

(4) Notwithstanding anything contained in any Rajasthan law, the State Empowered Committee or, as the case may be, the District Empowered Committee shall, in case the Competent Authority has failed to process and dispose of such applications within the time limit prescribed under section 12, have the power to consider and dispose of applications for permission under any Rajasthan law. For this purpose, references to the Competent Authority in such law shall be construed as including reference to the State Empowered Committee or, as the case may be, the District Empowered Committee:

Provided that where the Committee is unable to meet or otherwise unable to consider the application immediately, the Chairperson of the concerned Committee may, for reasons to be recorded in writing, decide the application and report the action taken to the Committee in its next meeting and the decision of the Chairperson, subject to any decision of the Committee, on such application shall for all purposes be deemed to be the decision of concerned Committee under this section.

(5) The State Empowered Committee and the District Empowered Committee may be assigned such other functions as may be prescribed.

(6) Where permission is issued by State Empowered Committee or any of the District Empowered Committees under sub-section (4), State Empowered Committee or District Empowered Committee, as the case may be, may recommend to the Government for appropriate action against the concerned Competent Authority, which has failed to dispose of the application within the time limit prescribed under section 12.

4. Declaration of Bureau of Investment Promotion.-The existing Bureau of Investment Promotion, a society registered under the provisions of the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) shall be the Bureau of Investment Promotion for the purposes of this Act.

5. Nodal Agency.-(1) The Bureau of Investment Promotion shall be the Nodal Agency for the State Empowered Committee.

(2) The District Industries Centre shall be the Nodal Agency for the District Empowered Committee.

6. Powers and functions of Nodal Agency.-Subject to the superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, the powers and functions of the Nodal Agency shall be as follows:-

(i) to assist the investors in completing the application forms, to acknowledge completed applications and forward such application to the concerned Competent Authorities for processing and disposal within the time limit prescribed under section 12;

(ii) to monitor the status of applications and place the report of the status of applications before the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be;

(iii) to place the application of the investor before the State Empowered Committee or the District Empowered

Committee, as the case may be, for its decision, where the concerned Competent Authority has failed to consider and dispose of the application within the time limit prescribed under section 12;

(iv) to receive applications for relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11 from the investor;

(v) to seek comments of the concerned departments or authorities on the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11 received from the investor;

(vi) to submit the comments of the concerned department or authority, if any, to the State Empowered Committee within the time limit prescribed under section 12;

(vii) to submit the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11, received from the investor to the State Empowered Committee within the time limit prescribed under section 12, in case no comments are received from the concerned department or authorities in the prescribed time limit.

7. Obligations of concerned department or authority.-(1) The Competent Authority shall consider and dispose of the application forwarded to it by the Nodal Agency under clause (i) of section 6 within the time limit prescribed under section 12.

(2) The concerned department or authority shall provide comments sought by the Nodal Agency under clause (v) of section 6, within the prescribed time limit, and, if the concerned department or authority fails to provide comments within the prescribed time limit, it shall be deemed that the concerned department or authority has no objection or suggestion regarding

the requisite relaxations, exemptions and concessions as mentione in section 11.

8. Application form.-(1) The Government shall be competent to prescribe an application form, either in physical or electronic format, which may consist of-

(a) forms under Central laws ; and

(b) existing forms or new forms in lieu of existing forms or modified forms under Rajasthan laws.

(2) All departments or authorities concerned shall accept such application form for processing and issue of required permission.

(3) Every investor shall furnish a 'Self Certification', in the prescribed form, at the time of submitting application form to the Nodal Agency, certifying that he shall comply with the applicable provisions of the relevant laws. The Self Certification furnished by the investor shall be accepted by the Competent Authority for the purpose of issuing and granting permission.

9. Filing of application.-(1) All applications for permissions shall be submitted in the prescribed manner to the Nodal Agency mentioned in sub-sections (1) and (2) of section 5.

(2) For the purpose of availing customized packages, concessions, exemptions or relaxations as provided in section 11, the application shall be submitted to the Nodal Agency mentioned in sub-section (1) of section 5.

(3) The application under sub-section (1) and (2) shall be in such form and be accompanied with such fees as may be prescribed.

10. Power of Competent Authority to call for additional information.-(1) On receipt of an application for permissions, the Competent Authority shall have powers to obtain additional information, if required, from the applicant:

Provided that the additional information under this section shall be requisitioned only once and requisition letter shall be sent through the Nodal Agency.

(2) The applicant shall furnish the required information to the concerned Nodal Agency.

(3) The Competent Authority shall, after sanctioning or rejecting, with reasons, the application, send its orders to the concerned investor and endorse a copy thereof to the concerned Nodal Agency.

11. Grant of customized packages, concessions, exemptions or relaxations.-The Government may, with a view to facilitate investment in the State, grant customized packages, concessions, exemptions or relaxations to any enterprise or category of enterprises in the State, subject to such conditions as it may deem fit, where the Government, or any other authority subordinate to it, is empowered under any Rajasthan Law to grant such customized packages, concessions, exemptions or relaxations.

12. Time limits for processing of applications.-(1) Notwithstanding anything contained in any Rajasthan law, policy or orders for the time being in force, the Government may prescribe time limit for processing and disposal of applications by the Competent Authority.

(2) The Government may prescribe time limit for Nodal Agency to process the application and the comments from the Competent Authority, concerned department or authority, and submissions of the same to the State Empowered Committee and District Empowered Committee, as the case may be.

(3) The Government may prescribe time limit for the State Empowered Committee for submitting its recommendations to the Council of Ministers.

13. Appeal.-Any investor aggrieved by the orders of –

(i) the Competent Authority may appeal to the State Empowered Committee;

(ii) the District Empowered Committee may appeal to the State Empowered Committee;

(iii) the State Empowered Committee may appeal to the Government,-

within thirty days from the date of the receipt by the investor of the order appealed against.

14. Revision.- (1) Notwithstanding anything contained in any Rajasthan law, the Government may, either *suo motu* or on an application made to it in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Empowered Committee or a District Empowered Committee and examine the propriety of the proceedings or orders passed therein so as to ensure that the orders are not against public policy nor against the provisions of law and make therein such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders being so revised in cases of rejection of the application for permissions and within three months in cases of grant of permissions .

(2) The orders passed by the Government under this section shall be final and shall be binding on all concerned.

15. Jurisdiction of the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.-The class of investment for which or investment limits up to which the State Empowered Committee or a District Empowered Committee shall have jurisdiction to consider and dispose of applications for permission under section 3 shall be such as may be prescribed.

16. Protection of action taken in good faith.-No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against the Chairperson or other members of State Empowered Committee or District

Empowered Committee or any employee of the Government acting under the direction of such committee in respect of anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

17. Confidentiality.-No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other investor or to a person not duly authorized, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor:

Provided that all information in respect of the terms and conditions of the investment made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or any of its agencies or authorities, or by any local authority, shall be notified by the Government for information of the public.

18. Transitional provisions.-The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or any of its agencies, authorities or undertakings on the date of commencement of this Act, if the concerned investor so opts by submitting an application to the Nodal Agency in the prescribed form and manner.

19. Act to override other laws.-Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the time being in force, or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

20. Power to remove difficulty.-(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

21. Power to make rules.-(1) The Government may, by notification, make rules generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

22. Repeal and savings.-(1) The Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010 (Ordinance No. 04 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken, notification issued or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken, issued or made under this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

23

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011
Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (14) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिए तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहने की दशा में उपयोग में लायी जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए, विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता देने के लिए तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह धारा 26 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए-

(क) राज्य में भिन्न-भिन्न जिलों; और

(ख) आवेदन प्ररूप के रूप विधान-

में या उनके संबंध में भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, ऐसे जिलों में या आवेदन प्ररूप के ऐसे रूप विधान के संबंध में, उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विनिधान संवर्धन ब्यूरो" से धारा 4 के अधीन यथा घोषित विनिधान संवर्धन ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, या किसी राजस्थान विधि के अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित ऐसा कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में कोई उद्यम स्थापित करने या उसकी संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञाएं मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(ग) "जिला सशक्त समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(घ) "उद्यम" से, माल के किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ, या कोई सेवा या सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "विनिधानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो आय या लाभ या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति हेतु किसी नये उद्यम में, या किसी विद्यमान उद्यम में विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;

(छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 5 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां अभिप्रेत हैं;

(ज) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(झ) "अनुज्ञा" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आबंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ करने तक किसी भी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित हों;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य सशक्त समिति'' से धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

3. **राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य.**-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनिधान के संवर्धन के प्रयोजन के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए धारा 11 में यथा उल्लिखित फायदों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मंत्रि-परिषद् की सहायता हेतु और, यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन

विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञाओं के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए राज्य सशक्त समिति का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सशक्त समिति, रियायतें देने के लिए आवेदनों का परीक्षण करेगी या किसी भी राजस्थान विधि के उपबंधों से छूट या शिथिलीकरण को मंजूर करेगी, विभागों की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी, जहां भी आवश्यक हो वहां विनिधानकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें करेगी। मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय-सीमा ऐसी होगी जो धारा 12 के अधीन विहित की जाये।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सशक्त समिति गठित कर सकेगी।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को, राजस्थान विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए, ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा:

परन्तु जहां समिति बैठक करने में या आवेदन पर तुरन्त विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध

कारणों से, आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन संबंधित समिति का विनिश्चय समझा जायेगा।

(5) राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।

(6) जहां उप-धारा (4) के अधीन राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समितियों में से किसी भी समिति द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है, वहां राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति, उस संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जो धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर आवेदन का निपटारा करने में विफल रहा है, के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगी।

4. विनिधान संवर्धन ब्यूरो की घोषणा.-विद्यमान विनिधान संवर्धन ब्यूरो, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिधान संवर्धन ब्यूरो होगा।

5. नोडल एजेंसी.-(1) विनिधान संवर्धन ब्यूरो, राज्य सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

6. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.-सरकार और राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) आवेदन प्ररूपों को पूर्ण करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिस्वीकृत करना और ऐसे आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित समय सीमा के भीतर-भीतर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रेषित करना;

(ii) आवेदनों की प्रास्थिति मानीटर करना और आवेदनों की प्रास्थिति की रिपोर्ट को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष रखना;

(iii) जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिधानकर्ता के आवेदन को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना;

(iv) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना;

(v) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;

(vi) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर राज्य सशक्त समिति को प्रस्तुत करना;

(vii) यदि विहित समय-सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, राज्य सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. **संबंधित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताएं.**-(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के खण्ड (i) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रेषित किये गये आवेदन पर धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।

(2) संबंधित विभाग या प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, धारा 6 के खण्ड (v) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गयी टिप्पणियां उपलब्ध करायेगा, और, यदि संबंधित विभाग या

प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि धारा 11 में यथा उल्लिखित अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के संबंध में संबंधित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

8. **आवेदन का प्ररूप.**-(1) सरकार, या तो भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप विधान में, एक ऐसा आवेदन प्ररूप विहित करने के लिए सक्षम होगी जो-

(क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों; और

(ख) राजस्थान विधियों के अधीन विद्यमान प्ररूपों या विद्यमान प्ररूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपांतरित प्ररूपों

से मिलकर बनेगा।

(2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।

(3) प्रत्येक विनिधानकर्ता, नोडल एजेंसी को आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय, ऐसे विहित प्ररूप में, एक 'स्व-प्रमाणन', यह प्रमाणित करते हुए देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। विनिधानकर्ता द्वारा दिया गया स्व-प्रमाणन अनुज्ञा जारी करने और मंजूर करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

9. **आवेदन का फाइल किया जाना.**-(1) अनुज्ञाओं के लिए सभी आवेदन विहित रीति में धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) धारा 11 में यथा उपबंधित अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगा, जो विहित की जाये।

10. अतिरिक्त सूचना मंगाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.-(1) अनुज्ञाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को आवेदक से, यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की शक्तियां होंगी:

परन्तु इस धारा के अधीन अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही अध्यपेक्षित की जा सकेगी और अध्यपेक्षा-पत्र नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।

(2) आवेदक अपेक्षित सूचना सम्बन्धित नोडल एजेंसी को देगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को कारणों सहित मंजूर करने या नामंजूर करने के पश्चात् अपने आदेश सम्बन्धित विनिधानकर्ता को भेजेगा और उनकी एक प्रति सम्बन्धित नोडल एजेंसी को पृष्ठांकित करेगा।

11. अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों की मंजूरी.-जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी राजस्थान विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य में विनिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

12. आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमाएं.-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राजस्थान विधि, नीति या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

(2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विभाग या प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

(3) सरकार, राज्य सशक्त समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

13. अपील.-कोई भी विनिधानकर्ता-

(i) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;

(ii) जिला सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;

(iii) राज्य सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,-

अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा।

14. पुनरीक्षण.-(1) किसी राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य सशक्त समिति या किसी जिला सशक्त समिति के समक्ष की किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाहियों या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरुद्ध नहीं हैं, न ही विधि के उपबंधों के विरुद्ध हैं और उनमें अनुज्ञाओं के लिए आवेदन के नामंजूर किये जाने के मामलों में, इस प्रकार पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेशों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में तीन मास के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश अंतिम होंगे और समस्त संबंधितों पर बाध्यकारी होंगे।

15. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति की अधिकारिता.-विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए, या विनिधान की वे सीमाएं, जहां तक, राज्य सशक्त समिति या किसी जिला सशक्त समिति को धारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी, ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

16. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी

समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

17. **गोपनीयता.**-सरकार की कोई भी एजेन्सी या प्राधिकारी, या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें उसके अधीन के कृत्यकारी सम्मिलित हैं, विनिधानकर्ता की किसी बौद्धिक संपत्ति की श्रेणी में आने वाली किसी भी सूचना को ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना किसी अन्य विनिधानकर्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा:

परन्तु राज्य में किये गये विनिधान के निबंधनों और शर्तों तथा सरकार या उसकी किन्हीं भी एजेन्सियों या प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा, या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में समस्त सूचना सरकार द्वारा जनता को सूचना के लिए अधिसूचित की जायेगी।

18. **अंतःकालीन उपबंध.**-इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेन्सियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे हैं, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता विहित प्ररूप और रीति में नोडल एजेन्सी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

19. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.**-इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य राजस्थान विधि, या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे।

20. **कठिनाई के निराकरण की शक्ति.**-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

21. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 04) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां, जारी की गयी अधिसूचनाएं या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।